क्रम-संख्या–142

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बुधवार, 21 अगस्त, 2024

श्रावण 30, 1946 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 1710 / वि0स0 / संसदीय / 65(सं)-2024

लखनऊ, 30 जुलाई, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

बोनस संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 30 जुलाई, 2024 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

बोनस संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में बोनस संदाय अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है -:

1-)1अधिनियम (संशोधन प्रदेश उत्तर) संदाय बोनस अधिनियम यह (, 2024 कहा संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ जाएगा।

)2 होगा। प्रवृत्त से दिनांक के जाने किये प्रकाशित में गजट यह (

अधिनियम संख्या की 1965 सन् 21 का 28 धारा संशोधन

2-बोनस संदाय अधिनियम ,1965जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है ,, की धारा 28 में शब्द''कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगाया दोनों से ,'' के स्थान पर शब्द ''जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक हो सकेगा'', रख दिए जायेंगे।

नई धारा क का 28 बढ़ाया जाना

3-मूल अधिनियम ,1965 की धारा के 28पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी , -:अर्थात्

''अपराधों का शमन

) क281 इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई (अपराध, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से यथा विनिर्दिष्ट किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् अभियुक्त द्वारा आवेदन किये जाने पर ऐसे अपराध हेतु उपबंधित अधिकतम पचास प्रतिशत जुर्माना की धनराशि के निमित्त यथा विहित रीति से प्रशमित किया जा सकता है:

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन प्रशमन का उपबंध केवल प्रथम अपराध कारित किये जाने हेतु उपलब्ध होगा।

)2कोई अपराध प्रशमित किये जाने के लिए प्रत्येक आवेदन (यथा विहित रीति से किया जायेगा।

)3कोई अभियोजन ,जहाँ किसी अपराध का प्रशमन (संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है वहां ऐसे अपराधीजिसके सम्बन्ध में अपराध इस प्रकार , के विरूद्ध ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोजन ,प्रशमित किया जाता है संस्थित नहीं किया जायेगा।

)4कोई ,जहाँ किसी अपराध का शमन (अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है वहां उप) धारा-1में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा न्यायालय (, जहाँ वाद लम्बित होके लिखित संज्ञान में लाया जायेगा और अपराध के शमन की , ऐसी नोटिस दिये जाने पर व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अपराध इस प्रकार प्रशमित किया गया हो"को उन्मोचित कर दिया जायेगा ,

———

उद्देश्य और कारण

कतिपय अधिष्ठानों में नियोजित व्यक्तियों को बोनस का संदाय करने और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने के लिये बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या 1965 सन् 21)अधिनियमित किया गया है।

विनिधान के संवर्धन के प्रयोजनार्थ विनियामकीय तथा अनुपालन संबंधी भार को कम करने और औद्योगिक तथा आर्थिक क्रियाकलाप को गति देने हेतु उद्योग संवर्धन और आन्तरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार, ने ऐसे अधिनियमों, नियमों और विनियमों को समाप्त करने या उन्हें अपराध की श्रेणी से मुक्त करने का निदेश दिया है, जो वर्तमान समय में उपयोगी नहीं है। भारत सरकार द्वारा दिये गये पूर्वोक्त निदेश के अनुसरण में, ''कारावास और जुर्माना'' के उपबंध के स्थान पर ''जुर्माना'' रख कर और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा के पश्चात् एक नयी धारा 28''अपराधों का शमन'' बढ़ाकर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा का संशोधन करने का विनिश्चय किया गया। 28

तदनुसारबोनस संदाय ,विधेयक (उत्तर प्रदेश संशोधन)2024 पुर स्थापित किया जाता है।:

अनिल राजभर
मंत्री,
श्रम एवं सेवायोजन।

बोनस संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 में किए जाने वाले ऐसे उपबन्ध का ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अंतर्ग्रस्त हैं।

बोनस संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 में किए जाने वाले विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का विवरण निम्न प्रकार है:-

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
3	इसके द्वारा राज्य सरकार को ऐसी रीति विहित करने की शक्ति दी जा रही है जिसमें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी यथा उपबन्धित अपराध का शमन करेगा तथा राज्य सरकार को इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के प्रशमन हेतु प्रत्येक आवेदन को यथाविहित रीति से प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की जा रही है ।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के है।

अनिल राजभर
मंत्री,
श्रम एवं सेवायोजन।

बोनस संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण

बोनस संदाय अधिनियम, 1965

धारा–28 28–शास्ति–यदि कोई व्यक्ति–

(क) इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा; अथवा

(ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई निदेश दिया गया है या जिससे कोई अपेक्षा की गई है, ऐसे निदेश या अपेक्षा का अनुपालन नही करेगा,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 343/XC-S-1–24-19 S-2024
Dated Lucknow, August 21, 2024

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Bonus Sandaay (Uttar Pradesh Sanshodhan) Vidheyak, 2024 introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on July 30, 2024.

THE PAYMENT OF BONUS (UTTAR PRADESH AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Payment of Bonus Act, 1965 in its application to the State of Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Payment of Bonus (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2024.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the *Gazette.*

Amendment of section 28 of Act no. 21 of 1965

2. In section 28 of the Payment of Bonus Act, 1965, hereinafter referred to as the "principal Act", *for* the words "with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both", the words "with fine which may extend to ten thousand rupees" shall be *substituted*.

Insertion of new Section 28A

3. *After* section 28 of the principal Act, 1965, the following section shall be *inserted*, namely :-

"Composition of Offences

28A (1) Any offence punishable under this Act, may be compounded on the application of accused, before or after institution of prosecution by such Competent Officer, as the State Government may by notification specify, for a sum of fifty percent of the maximum fine provided for such offence, in such manner as may be prescribed:

Provided that the provision of the compounding under this section shall be available only for commission of First offence.

(2) Every application for the compounding of an offence shall be made in such manner as may be prescribed.

(3) Where any offence is compounded before the institution of any prosecution, no prosecution shall be instituted in relation to such offence, against the offender in relation to whom the offence is so compounded.

(4) Where the composition of any offence is made after the institution of any prosecution, such composition shall be brought by the officer referred to in sub-section (1) in writing to the notice of the court in which prosecution is pending and on such notice of the composition of the offence being given, the person against whom the offence is so compounded shall be discharged."

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

The Payment of Bonus Act, 1965 (Act no. 21 of 1965) has been enacted to provide for the payment of bonus to persons employed in certain establishments and for matters connected therewith.

IN order to reduce regulatory and compliance burden for the purpose of investment promotion and to give impetus to industrial and economic activity, the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Government of India has directed to abolish or decriminalize such Acts, rules and regulations, which are not useful at the present time. In pursuance of the aforesaid direction of the Government of India it has been decided to amend section 28 of the aforesaid Act by substituting the provision of 'imprisonment and fine' with 'fine' and to insert a new section providing for "Composition of Offences" after section 28 of the aforesaid Act .

The Payment of Bonus (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2024 is introduced accordingly.

ANIL RAJBHAR
Mantri,
Shram evam Sewayojan.

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 210 राजपत्र–2024–(587)–599+25+5=629 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

210 RPH (Bonus Sansadiya) 2024 Data 8e